

बैगा जनजाति के विकास में हिंदी की भूमिका

डॉ. गजेन्द्र भारद्वाज, सहायक प्राचार्य हिंदी, मारवाड़ी
महाविद्यालय दरभंगा(ल.ना.मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा
की अंगीभूत इकाई)

प्रस्तावना— बैगा आदिवासी सुदूर वनक्षेत्रों में प्रकृति-आश्रित रहकर अत्यंत सीमित संसाधनों द्वारा जीवनयापन करते हैं, 2011 में बैगा समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर अन्य आदिवासी समुदायों की अपेक्षा अत्यंत कम रही और केवल 131425 ही दर्ज की गई। अतः बैगाओं के उत्थान के प्रयासों में उचित संशोधन एवं परिवर्तन करते हुए उनके सामाजिक-सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रयासों की गति को तीव्र किया जाना आवश्यक हुआ। इसके लिए बैगा बहुल क्षेत्रों में बैगा विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई। 9 अगस्त 2012 को 'बैगा' आदिवासी समुदाय को 'राष्ट्रीय मानव' घोषित कर उनके संरक्षण तथा उत्थान हेतु जब विकास नीतियों तथा योजनाओं का प्रारंभ किया गया तो देखा गया कि इन योजनाओं की सफलता का मार्ग उनसे संवाद स्थापित करके ही तैयार हो सकता है। भाषागत चुनौतियों के होते हुए भी बैगा व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा, उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण, महिलाओं को स्वास्थ्य-सुरक्षा आदि के कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। लेकिन पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे बैगा आदिवासियों के विकास का लक्ष्य कठिन था। विस्थापन, नक्सलवाद, आवास, धर्मान्तरण, रोजगार, भाषा, शिक्षा-स्वास्थ्य, नशा आदि चुनौतियों के कारण वनाश्रित बैगाओं की विकास की गति शुरुआती दशकों में अपेक्षाकृत धीमी थी। तथापि गरीब बैगा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पाठ्यसामग्री, गणवेश आदि वितरण के माध्यम से सहायता प्रदान करने पर वे हिंदी शिक्षा की ओर प्रवृत्त हुए। सामाजिक उत्थान हेतु रुढ़ियों तथा नशे जैसी बुराइयों के उन्मूलन की सकारात्मक भावना ने जन्म लिया। हिंदी व्याख्यान, पोस्टर, पंप्लेट, बुकलेट आदि का सकारात्मक प्रभाव बैगा समुदाय के विकास में स्पष्टतः देखा जा सकता है।

गृह, उद्योग, व्यापारिक कृषि, शहद निर्माण, कौशल विकास, ऋण-अनुदान आदि से संबंधित प्रशिक्षणों से बैगा समुदाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। इसका प्रभाव समुदाय के बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के सामाजिक उत्थान पर पड़ा जिसके कारण सामाजिक जागरूक फैली तथा बाहरी समस्याओं के विरुद्ध उनका ध्यान अपनी सांस्कृतिक पहचान तथा भाषायी अस्मिता की ओर गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पिछले दशक में बैगा जनजाति की जनसंख्या में आशातीत वृद्धि विकास के प्रयासों में अपूर्व सफलता की द्योतक है। इस सफलता के कारणों में एक कारण हिंदी प्रचार-प्रसार, कार्यशाला, शिविर, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा संचार भी है। वाचिक परंपरा में होने के कारण बैगा आदिवासियों की बोली 'बैगानी' का कोई लिखित स्वरूप सामने नहीं आ पाया है इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बैगा जनजाति के भावी विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु हिंदी सशक्त माध्यम बन सकती है। नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप बैगा समुदाय के बच्चों के लिए मातृभाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम 'बैगानी' को लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक है इसके लिए देवनागरी लिपि का आश्रय लिया जा सकता है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखण्ड तथा ऐसे अन्य स्थान जहाँ बैगा समुदाय के निवासी रोजगार या अन्य कारणों से निवासरत हैं, उन राज्यों की बोलियों या भाषा का प्रभाव उन बैगा आदिवासियों पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः यदि देवनागरी में 'बैगानी' को लिपिबद्ध किया जा सका तो संभव है कि बैगा के अतिरिक्त हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, मुण्डारी आदि भाषा-उपभाषा के जानने वाले भी बैगानी को जानने समझने लगें। इसी प्रकार यदि बैगा लोक साहित्य भी देवनागरी में प्रकाशित हो सका अथवा उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा सकता तो बैगा-लोक-संस्कृति, आयुर्वेद, वन्यजीवन संबंधी ज्ञानराशि का लाभ हमारे समाज को भी हो सकेगा।

पूर्व शोध कार्यों की समीक्षा—

1. 'डिण्डौरी जिले के बैगा जनजाति में प्रवासिता की समस्या का आर्थिक अध्ययन'— श्रीमती भावना अभिषेक प्रधान, सन् 2022 ईस्वी।
2. 'मण्डला जिले में बैगा जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों पर साक्षरता के प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन'— कुमारी एकता माथन्य्यान, सन् 2021 ईस्वी।
3. 'बालाघाट जिले में बैगा जनजाति : स्वास्थ्य दशाओं का भौगोलिक अध्ययन'(1991 से 2021)— कुमारी मीनाक्षी मरावी, सन् 2021 ईस्वी।
4. 'मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन'(मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)— कुमारी ज्योति विश्वास, सन् 2021 ईस्वी।
5. 'बैगा जनजाति का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन : एक ऐतिहासिक अध्ययन' (स्वातंत्र्योत्तर छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में 1989 से 2015 तक)— गजेन्द्र कुमार, सन् 2020 ईस्वी।
6. 'शहडोल जिले में बैगा जनजाति में शिक्षा का स्तर एवं विकास'—सरिता देवी, सन् 2019 ईस्वी।
7. 'बैगा समुदाय पर संचार का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'(मण्डला जिले के विशेष संदर्भ में)— राफिया आबिद, सन् 2017 ईस्वी।
8. 'बैगा जनजाति : सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन'— डॉ. रश्मि दुबे(त्रिवेदी)। यह शोध मध्यप्रदेश के मण्डला जिले के तीन ग्रामों के बैगा आदिवासी समुदाय पर किया गया तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक शोध है।
9. 'बैगा आदिवासियों की आर्थिक संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन'(मध्यप्रदेश प्रांत के डिण्डौरी जनपद के विशेष संदर्भ में)— देवेन्द्र कुमार खरे, सन् 2008 ईस्वी।
10. 'बैगा एवं गोंड जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति : एक तुलनात्मक अध्ययन' (जबलपुर एवं मण्डला जनपद पर आधारित)— तेजपति सिंह, सन् 2007 ईस्वी।
11. 'द बैगा'(वेरियर एल्विन), सन् 1939 ईस्वी।

उपर्युक्त शोधकार्यों के आलोक में ज्ञात होता है कि बैगा आदिवासियों के विभिन्न पक्षों को लेकर जो शोधकार्य किए गए उनमें एक मानवशास्त्रीय, तीन आर्थिक, दो सामाजिक, एक-एक राजनीतिक, शिक्षाशास्त्रीय और स्वास्थ्यपरक हुए हैं तथा इन सभी में एक या दो पक्षों के साथ आंशिक रूप से सांस्कृतिक अध्ययन भी सम्मिलित रहा है। स्वतंत्र रूप से बैगा आदिवासियों का सांस्कृतिक अध्ययन पर कोई शोधकार्य परिलक्षित हुआ। उपरोक्त शोधकार्यों का बैगा बहुल क्षेत्रों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो दिखाई देता है कि अधिकांश शोध क्षेत्र—विशेष अथवा राज्य के जिलों को आधार मानकर किए गए हैं। यथा— छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में अथवा मध्यप्रदेश के डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट आदि जिलों में निवासी बैगा समुदाय के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। कुछ ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन कालानुक्रम पर आधारित हैं।

शोध अंतराल— पूर्व शोधकार्यों में बैगा जनजाति की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का कालबद्ध अध्ययन—विश्लेषण करते हुए प्रस्तावित सुझावों आदि पर कुछ शोधकार्य अवश्य किए गए हैं परंतु बैगा जनजाति के विकास में हिंदी की भूमिका संबंधी शोध का नितांत अभाव है। अस्तु यह शोधकार्य बैगा जनजाति के विकास संबंधी बड़े शोध—अंतराल की पूर्ति करेगा, साथ ही साहित्य तथा भाषा विज्ञान संबंधी शोध की नई दिशाओं को प्रशस्त करेगा।

शोध प्रश्न का निर्धारण— बैगा जनजाति के उत्थान तथा विकास के लिए शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं पर अभी तक बैगा जनजाति समाज के निर्धारित विकास के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस पिछड़ेपन के लिए वन अधिनियम, औद्योगीकरण, झूम खेती, नक्सलवाद, विस्थापन, धर्मान्तरण, संचार साधनों का अभाव, यातायात की सुविधाओं की अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि बताई जाती हैं जिनके निवारण हेतु शासन समय-समय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास करती रही है। बीते दशक में शासन द्वारा बैगा जनजाति के उत्थान संबंधी अनेक कार्यशालाएँ, शिविर तथा प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिससे बैगा समुदाय में जागरुकता का विस्तार हो। ध्यातव्य है कि बैगा आवासीय क्षेत्रों में प्रयुक्त इन जागरुकता अभियानों के लिए तैयार बैनर, पोस्टर, बुकलेट आदि हिंदी में थे। उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप पिछले दशक में बैगा जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत संतोषजनक दर्ज की गई जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान दशक में बैगा जनजाति की सामाजिक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक सुधार आया है तथा विकास गति तीव्र हुई है। अस्तु बैगा समुदाय के इस विकास में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में 'बैगा जनजाति के विकास में हिंदी की भूमिका' का अध्ययन अभीष्ट लक्ष्य है।

शोध परिकल्पना—

बैगा जनजाति के शैक्षणिक, भाषायी, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

शोध के उद्देश्य—

1. 'बैगानी' बोली के संरक्षण में हिंदी की भूमिका का अध्ययन करना।
2. बैगा लोकसाहित्य के संरक्षण में हिंदी की भूमिका का अध्ययन करना।
3. बैगा जनजाति के समग्र विकास में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन के मापांक—

1. शैक्षणिक विकास
2. भाषायी विकास
3. आर्थिक विकास
4. सामाजिक विकास
5. सांस्कृतिक विकास

शोध का क्षेत्र/सीमा— भारत में बैगा समुदाय के लोग मुख्य रूप से मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड के कुछ भाग के निवासी हैं। यद्यपि पूर्व के शोधकार्यों के अनुसार बैगा जनजाति मूलतः छोटानागपुर के वनक्षेत्रों से विस्थापित होकर मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की ओर विस्थापित हुई। वर्तमान समय में झारखण्ड में बैगा जनजाति की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है तथा वहाँ बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में भी सम्मिलित नहीं किया गया। अतः इस कारण इस शोध कार्य का अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बैगा समुदाय तक ही सीमित रखा गया है।

आँकड़ों के स्रोत— प्राथमिक स्रोत— टेलीफोनिक साक्षात्कार। द्वितीयक स्रोत— (क) ग्रंथ— ‘प्रकृति पुत्र’(विजय चौरसिया), ‘बनवासी बैगा’(प्रो. दिलीप सिंह), ‘बैगा जनजाति : विकास के नवीन आयाम’(डॉ. उमेश कुमार दुबे), ‘आदिवासी समाज और शिक्षा’(रामशरण जोशी), ‘मैं बैगा हूँ’(जिला प्रशासन, मण्डला, मध्यप्रदेश), (ख) राज्य व केन्द्र शासन द्वारा जारी विभिन्न प्रतिवेदन एवं आदेश, (ग) समाचार तथा पत्र-पत्रिकाएँ, (घ) इण्टरनेट से प्राप्त छायाचित्र आदि।

शोध प्रविधि— शोधपत्र में बैगा जनजाति की पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण हेतु ऐतिहासिक, आर्थिक स्थिति तथा आय संबंधी आँकड़ों की तुलना एवं विकास में हिंदी के योगदान आदि के निर्धारणार्थ तुलनात्मक, बैगा जनजाति की समस्याओं की स्थिति के आकलन हेतु विश्लेषणात्मक, समस्या-समाधान की विवेचना हेतु विवेचनात्मक, संभावित सुझावों तथा नीतिपरक विचारों की व्याख्यात्मक तथ्याख्यानपरक आदि शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुति के क्रम में बैगाओं की शैक्षणिक, भाषायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएँ, समाधान तथा बैगा समुदाय के विकास में हिंदी की भूमिका तथा अंतिम भाग में उपसंहार एवं संभावित सुझावों को प्रस्तुत किया जाएगा।

विमर्श— प्रकृतिपुत्र बैगा स्वयं को ‘सुषेण वैद्य’ का वंशज मानते हैं तथा बिंझवार तथा गोंड जनजाति के ‘वैद्य’, पुरोहित, गुनिया तथा ओझा के रूप में पहचाने गए। वनपुत्र होने के नाते बैगा आदिवासी हल चलाकर की जाने वाली कृषि नहीं करते। ‘बैगाओं की मान्यता है कि वे धरती माँ की संतान हैं और हल जोतना माँ के सीने में खंजर उताने के समान है। अतः वे जंगल काटकर, जलाकर उस राख से उर्वर जमीन पर फसल लगाते हैं। दो तीन वर्ष अच्छी पैदावार के बाद जब उर्वरता में कमी जाने लगती है तो वे एक और स्थान पर उपर्युक्त प्रक्रिया दोहराते हुए खेती करते हैं।’¹ पर तेजी से कम होते वनों के कारण उनकी यह बेवर खेती अपर्याप्त होने लगी तथापि जीवनयापन के लिए लंबे समय तक बेवर-कृषि की जाती रही पर अब समाप्त प्रायः ही है। बचपन से वन के सभी वृक्षों, पौधों, फूलों, फलों, बीजों आदि से परिचित होने के कारण बैगा जड़ी-बूटियों के अच्छे ज्ञाता तथा पर्यावरण प्रेमी होते हैं। बिंझवार तथा गोंड जनजाति के जमीन संबंधित विवादों में बैगा आदिवासी के फैसले को महत्व दिया जाता है। ‘बैगाओं की पहचान वैद्य के रूप में भी है और ओझा या गुनिया के रूप में भी। भूत-परेत से बैगा बहुत डरते हैं। कई बैगा देवता तो इन्हीं दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने के लिए पूजे जाते हैं। किसी को साँप काट ले तो ओझा मन्तर से झाड़ता है। सर्प दंश झाड़ने के लिए मोरपंखी तथा भूत-चुड़ैल की झाड़-फूँक के लिए ओझा झाड़ू या चिमटा का इस्तेमाल करते हैं। कोई गंभीर ‘केस’ हुआ तो ‘देव के थान’ या इस कार्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी वृक्ष के नीचे बकरे या मुर्गे की बलि दी जाती है।’² बैगा जनजाति में बिंझवार, भूमिया, नरोतिया/नाहर, भरोतिया, भरमिया, मुण्डिया तथा गोंडबैना तथा भैना(रायभैना, कठभैना, दूधभैना) प्रमुख उपजातियाँ सम्मिलित की जाती रही हैं। बैगा जनजाति के ग्राम के प्रवेश द्वार पर बरगद या साजा के वृक्ष होते हैं गाँव का रास्ता पगडण्डीनुमा तथा सँकरा होता है। पारा या टोला में विभक्त इन ग्रामों की आकृति प्रायः आयताकार, गोलाकार, लंबवत् पंक्तिबद्ध देखी गई है।

आर्थिक रूप से पिछड़े बैगा समुदाय के घर सामान्यतया एक या दो कमरों के ही अधिक होते हैं जो प्रायः बाँस या मिट्टी की दीवार से बनाए जाते हैं। छत या तो घास-पूस से बनी होती है या खप्पर की। अधिकांश घरों में एक-आध परछी भी होती है जिसमें छोटा-मोटा सामान सिलवट्टा, जलाऊ लकड़ियाँ आदि रखी जाती हैं। दो या अधिक कमरों वाले घर में रसोई भाग अलग तथा एक कमरे वाले घर में उसी कमरे के एक भाग में होता है। किसी-किसी घर में पशुपालन के उद्देश्य से ‘गोदा’(सार) भी बनाया जाता है। बैगा आदिवासी समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, कार्य संचालन, वाद-विवाद, निर्णय आदि पंचायत के द्वारा संपादित किए जाते हैं। समाज में मुकद्दम, दीवान, समरथ गुनिया, कोटवार आदि महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। ‘विभिन्न

सामूहिक कार्यों के लिए प्रायः सभी जनजातियों का एक मुखिया होता है जिसके लिए उनके समाज में अलग-अलग नाम होते हैं। गाँव की व्यवस्था के लिए इनके यहाँ कार्य विभाजन करके उसके अनुरूप कार्य प्रमुख तय किए जाते हैं। बैगा जनजाति में पहान, बैगा, महतो और पुजारी की भूमिका होती है।³ पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संचालित बैगा परिवार मुखिया पुरुष होने पर भी महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त हैं, उनके मंतव्य को महत्व दिया जाता है। मुखिया पत्नी तथा अविवाहित बच्चों के साथ रहता है। विवाहित होने पर पिता के घर के पास ही एक अलग घर नवदंपति को बनाकर दे दिया जाता है। वृद्ध अभिभावक चाहें तो विवाहित पुत्र के घर रह सकते हैं।

बैगा महिलाएँ श्रृंगार प्रिय होती हैं, उनमें गोदना सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है तथा शरीर के अधिकांश भाग पर गोदना गुदा हुआ होता है जिसे 'बदनिन' या 'गोदना हारिन'⁴ द्वारा सालवान या रमतिला के वृक्ष या बीज के रस से एक विशेष विधि द्वारा सुई से गोदकर बनाया जाता है। 'बनवासी बैगाओं में हर अंग के लिए गोदना की भिन्न आकृतियाँ प्रचलित हैं। एक ही अंग के लिए भी अलग-अलग डिजाइनें चुनी जा सकती हैं। 'गोदना' को लेकर बैगा समाज में ढेरों धारणाएँ और किवंदंतियाँ प्रचलित हैं।⁵ बैगा महिलाओं के परिधान में घुटनों तक धोती रहती है जिसे 'कपची' कहा जाता है। ये गले में सुतिया, हमेल तथा बालों में फुंदरो की शौकीन होती हैं। बैगा महिलाओं नाक नहीं छेदी जाती। बैगा पुरुष के सिर के बाल लंबे होते हैं, पगड़ी, सलूखा तथा उसके ऊपर जेकेट और कमर में धोती होती है जो घुटनों तक आती है। बैगा जनजाति में अवसर के अनुसार कई लोकनृत्य प्रचलित हैं जिनमें 'करमा नृत्य' सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो शीत ऋतु के आरंभ से ग्रीष्म ऋतु के अंत तक विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। करमा नृत्य के 'ठाढ़ी करमा', 'लहकी करमा' जैसे कई प्रकार भी हैं। दशहरा, दीवाली जैसे त्योहारों पर शैला नृत्य भी किया जाता है।

बैगा समुदाय में समगोत्र विवाह वर्जित माना जाता है। ऐसा करने पर सामाजिक-बहिष्कार किया जा सकता है अथवा प्रायश्चित के रूप में तीन गाँव के व्यक्तियों को शराब एवं भोजन खिलाने का प्रावधान है। बैगाओं में चढ़ या मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पैटूल विवाह तथा पैटूल ब्याहता विवाह(पुनर्विवाह) प्रचलित हैं। गर्भवती महिला द्वारा बच्चे को जन्म दिए पर 'जचकी' को तीन माह तक रसोई आदि कार्यों से मुक्त रखा जाता है तत्पश्चात् रसोई में पुनः प्रवेश के लिए एक रस्म निभाई जाती है जिसमें स्त्री बुजुर्ग महिला(सास आदि) से अनुमति प्राप्त करके आमंत्रित महिलाओं को महुए के दोने में शराब परोसती है। अत्यंत पिछड़ा होने पर भी बैगा समाज में बेटा या बेटी दोनों को समान माना जाता है। बैगा परिवार में किसी की बुजुर्ग की मृत्यु होने पर अग्नि दी जाती है, फिर नदी के पानी में 'तिजरा' की रस्म पूरी की जाती है, उसके बाद विधवा द्वारा स्त्री मछली अथवा केंकड़ा को पकड़कर उन्हें मृतक का जीव कहते हुए छोड़ दिया जाता है। शवयात्रा नगाड़े को बजाते हुए निकाली जाती है। युवा की मृत्यु पर मिट्टी दी जाती है तथा मृतक द्वारा जीवनकाल में उपयोग की हुई सामग्री बर्तन, कपड़े आदि उसी के साथ रख दिए जाते हैं।

बैगा समुदाय किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता लेकिन उनकी संस्कृति में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना आदि की जाती है। बैगा पीरी बाई, बूढ़ी माई, छपटा माई, रातमाई, पनिहारी, लोहासुर माता, नर्मदामाई, धरती माता, ठाकुर देव, बड़ादेव, भीमसेन, धनश्याम देव, नारायण देव, और होलरा आदि देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। वास्तव में ये देवी-देवता उनके ही पूर्वज, पुरखे या प्रकृति के प्रतीक हुआ करते हैं जिनके बारे में बैगाओं की मान्यता है कि ये उनकी वनसंस्कृति को संरक्षित करने में मदद करते हैं। 'आदिवासी संस्कृति में भगवान, भाग्य, जाति, वर्ण, शास्त्र, धर्म, मंदिर, देवता कभी रहे ही नहीं। वह प्रकृति के उपासक हैं।'⁶ बैगा कृषि आधारित पर्व 'चैता', 'अख्ती', 'अन्नकूट' 'दशहरा', 'नवाँखानी', पछर मिसाई 'देवारी', 'फाग', 'धुरेड़ी' आदि मनाते हैं। दैनिक आहार में बैगा समुदाय द्वारा सुबह 'बासी' का नाश्ता, दोपहर में

‘पैज’(कोदों/कुटकी व मक्का का विशेष विधि से तैयार घोल) तथा शाम या रात के समय ‘बियारी’(भात-भाजी) को भोजन के रूप में खाया जाता है। वनों में उगने वाले कंदमूल, फल, अनाज— ज्वार, बाजरा, मक्का, राई, रमतिला, चावल, कोंदो, कुटकी आदि के साथ-साथ शिकार के रूप में टोलियों में बँटकर ‘मलन्दा’ नामक फँदे से जंगली पशु-पक्षियों चूहा, सर्प, मेंढक, सुअर, बकरी, मुर्गा आदि को आहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। मछली भी बैगाओं का प्रिय आहार है।

बैगा जनजाति अत्यंत संकोची या शर्मिली स्वभाव की मानी जाती है। बाहरी लोगों, आपदाओं, अनिष्ट आदि से बच्चों की रक्षा के लिए देवी-देवताओं के ताबीज, झाड़-फूँक, तंत्र-मंत्र आदि क्रियाओं पर विश्वास के कारण बैगा आदिवासियों को अक्सर अंधविश्वासी कह दिया जाता है। बैगाओं द्वारा अपने परिवार व समाज की रक्षा के इस प्रकार के रक्षासूत्र आदि बाँधने को बिना किसी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के अंधविश्वास की श्रेणी में रख देना प्रश्नवाचक चिह्न है। तथापि इस बात में कोई अंधविश्वास नहीं है कि बैगा समाज वनोषधियों का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। “ऋतुओं, मौसम, पर्यावरण और वन-संपदा से नियंत्रित बैगा ज्ञान अनूठा है। परिपूर्ण है।”⁷ बैगा आज भी वनोपज पर ही निर्भर रहकर अपनी आवश्यकता के अनुसार वनों से कंद-मूल, शाक-फल, बीज आदि एकत्र करते हैं। इनमें न तो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और न प्रकृति के दोहन की। वे स्वयं को वनपुत्र मानते हैं इसलिए वनों पर पूरा विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि “जंगल हमें कभी निराश नहीं करता— कभी मौसमी फल देता है, कभी कन्द, कभी शाक तो कभी जलावन, छाल, पत्ती और बीज। वही हमें शिकार देता है। मछली देता है। मवेशियों के लिए ‘चारा’ देता है। हम जो माँगें, जो चाहें, वन से हमें मिल जाता है। तभी तो अरण्यानी इनकी जननी हैं और ये बैगा बनवासी उनके वनपुत्र।”⁸

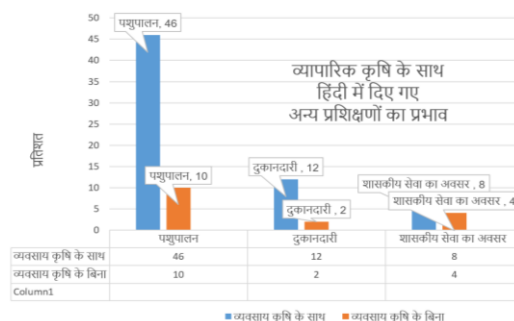
बैगा समुदाय के जीवनयापन का सबसे बड़ा स्रोत वनोपज ही रहा है। वे इमारती लकड़ी, बाँस, फल, तेन्दु, लाख, कोसा के अतिरिक्त हर्षा, बहेरा, शहद, महुआ, बाँस की पिटरी, काली हल्दी, सिंघाड़ा, बेर, चिरौंजी, आँवला आदि जड़ी-बूटी, औषधियाँ भी एकत्र करते हैं जिनका उपयोग उल्टी, दस्त, पेटदर्द, मलेरिया, चर्मरोग, घाव, हड्डी टूटने, बुखार, दाँत दर्द, सूजन, चोट, मोच, मिर्गी, गठिया आदि को ठीक करने के लिए किया जाता है। वास्वव में बैगा जड़ी-बूटियों के औषधियों के गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं इसलिए कई प्रकार की बीमारियों को वे आसानी से ठीक करना जानते हैं। “बैगाचक के वे ही वैद्य हैं। लोगों औषधियाँ देते हैं। बदले में बैगा किसान उन्हें अनाज, शहद या कोई वनोपज उपहार स्वरूप देते हैं। इसी से उनके परिवार का भरण-पोषण होता है।”⁹ पहले वनोत्पादन के रूप में बैगा जंगल से प्राप्त होने वाले बाँस तथा छींद से टोकरियाँ, सूपा, झाड़ू, रस्सी, चटाइयाँ आदि बनाकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। इमारती लकड़ियों से बनने वाले खिलौने, कुर्सी, चारपाई, दरवाजे, खिड़की, संदूक, रसोई के सामान, कृषि औजार आदि का निर्माण तथा विक्रय से अपने घर के लिए भरण-पोषण के साधन जुटा लेते थे। वैसे “बैगाओं का मुख्य धंधा वनोपज को इकट्ठा करना तथा विक्रय करना है। वनोपज एकत्रित करने का कार्य अधिकांश स्त्रियाँ करती हैं। बैगा पुरुष उदार वृक्ष से पिटला, महलोन की छाल से रस्सी, बाँस का पैरा, महलोन के पत्तों से झापी बनाते हैं इसका क्रय-विक्रय गाँव में ही होता है। कुछ बैगा शहद और जड़ी-बूटी इकट्ठा करके बेचते हैं। कृषि फसलों से प्राप्त अन्न के अभाव में ये लोग शेष समय में मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं। बैगा आदिवासी दो तरह की मजदूरी करते हैं। पहली मजदूरी कृषि से संबंधित है। इसमें मेहनताना अनाज के रूप में मिलता है। स्यारी और उन्हारी(खरीफ और रबी) फसलों की कटाई में स्त्रियों के क्रमशः एक कूड़ा या दो कूड़ा अनाज प्रतिदिन दिया जाता है। दूसरी मजदूरी सरकारी है। सरकारी मजदूरी में सड़क, बाँध तथा वनों में शासकीय कार्यों में दैनिक मजदूरी की दर से सीमित समय के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है। सालभर में बैगा छः माह कृषि कार्य करते हैं तथा शेष छः माह बेकारी का सामना करते हैं। बैगा कुल्हाड़ी चलाने में कुशल होते हैं।

इसलिए वन विभाग की कटाई में बैगा मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। बैगा अपने घरों में मुर्गी, बकरी, गाय—भैंस पालते हैं। इनसे इन्हें कुछ आमदनी प्राप्त हो जाती है। कुछ बैगा महुआ की शराब बनाकर भी बेचते हैं।¹⁰ अब स्थिति कुछ बदल सी गई है।

वन अधिनियम लागू होने से बैगा आदिवासी समुदाय का वनोपज संग्रहण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। यही बैगाओं की आय का मुख्य साधन था जो वन अधिनियम के लागू होने बाद बैगाओं की पहुँच के बाहर है। अब बैगा वनोत्पादित कई उत्पादों वंचित हो जाते हैं जिससे उनके उद्योग धंधे, पशुपालन, आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि प्रभावित हुए इसे उनकी कमर ही टूट गई है। “बैगाओं को उनके कृषि तथा ग्रामीण उद्योग धंधों से इतनी आय नहीं होती कि ये अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकें। बैगा जो भी चीजें इकट्ठा या बनाकर बेचते हैं, सभ्य समाज के लोग सस्ती कीमत पर क्रय कर उनका आर्थिक शोषण करते हैं। उनके द्वारा बेची जाने वाली फसलों के दाम, व्यापारी बहुत कम देते हैं। बैगा पूरी तरह से शोषण की चपेट में हैं। अब उनके श्रम का शोषण भी जारी है।”¹¹ पहले वे जलाऊ व इमारती लकड़ी, तेन्दू, महुआ, आँवला, हर्रा, बहेरा, शहद, लाख, कोसा, कंदमूल, फल, शिकार आदि से अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम थे पर अब नहीं।

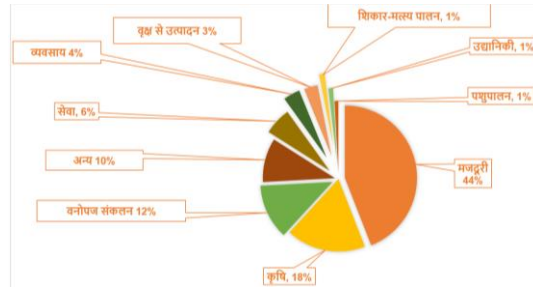
बैगा जनजाति के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों की आय वनोपज पर आधारित थी, अब यह दर केवल 12 प्रतिशत¹² शेष रह गई है। जिसका कारण वन, वनभूमि तथा खनिज संपदा से बैगाओं को वंचित व निर्वासित तथा विस्थापित किया जाना है। उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर बैगा युवाओं को धर्मपरिवर्तन तथा नक्लवाद की चपेट में लाने के कई मामले प्रकाश में आते रहे हैं। मिशनरी संस्थाओं छात्रावासों, अस्पतालों, आदि से संबंधित आर्थिक लाभ के लोभ से धर्मान्तरण के कई मामले दिखाई दिए हैं। धर्मान्तरण से अपनी संस्कृति व धर्म के प्रति आस्था में कमी दिखने लगती है, सामाजिक टकराव उत्पन्न होता है, आपसी मतभेद, वैमनस्यता, व्यवहारिकता में कमी, तनाव, असंतोष आदि को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याएँ समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। वास्तव में देखा जाए तो संभवतः आदिवासी समुदाय ही एकमात्र ऐसा समाज दिखाई देगा जिसमें वर्ग या जातिभेद को मान्यता नहीं दी गई है। “अगर वर्ग व जातिविहीन समाज के इस उपलब्ध सूत्र को पहचानकर अंगीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रीय एकीकरण और तनावविहीन समाज के लिए इससे बढ़िया कोई विकल्प आज भी हमारे समाने नहीं है। इसलिए सामूहिकता और सह—अस्तित्व आदिवासी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पक्ष का एक अन्य उपांग है। वह यह कि धर्म के नाम पर आदिवासी समाज में किसी प्रकार के समुदाय का नहीं होना।”¹³ आदिवासी समुदाय धर्म संबंधी मान्यताओं को किसी वर्ग या जाति विशेष के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। पर आज के परिदृश्य में जब समाज तथा संस्कृतियाँ एक—दूसरे से तेजी से प्रभावित हो रही हैं, धर्मान्तरण जैसे बाहरी प्रभाव से मुक्त रखकर आदिवासी समाज को दूषित होने से बचाए रखा जाना एक बड़ी चुनौती है।

बैगा विकास प्राधिकरणों द्वारा हिंदी कार्यशाला तथा प्रशिक्षणों द्वारा बैगा समुदाय के लोगों की आय में वृद्धि के लिए व्यापारिक कृषि के साथ अन्य आय के साधनों जैसे बीज—वितरण, मधुमक्खी—पालन, मत्स्य—पालन, उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, विक्रय की जानकारी एवं प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी हिंदी बैनर, पोस्टर, बुकलेट, पम्पलेट, प्रतिवेदन आदि उपलब्ध कराई गई। जिससे पशुपालन 10 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत, दुकानकारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत तथा शासकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत की वृद्धि बैगाओं की आय में दर्ज की गई। (ग्राफ—1)¹⁴ यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा। इस दिशा में और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।



इन आर्थिक समस्याओं के निवारणार्थ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बैगा आदिवासियों के हितार्थ वनोपज संग्रहण तथा स्थानीय रोजगार जैसी योजनाओं को लागू किया गया। इनके अंतर्गत “वनोपज, महुआ का समर्थन मूल्य 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलो की दर निर्धारित किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रूपए से बढ़ाकर सीधे चार हजार रुपये कर दिया गया है। प्रदेश भर में 856 हाट-बाजारों में लघु वनोपज की खरीदी की नई व्यवस्था देने से प्रदेश के किसानों से लेकर वनों में निवासरत लाखों वनवासियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों को समाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए ‘शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना’ बनाई गई है। पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्राहक में लगे हुए लगभग 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को समाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 4 लाख रूपए देने का प्रावधान है।”¹⁵

कृषि, रोजगार आदि से संबंधित बैंकिंग, ऋण, निवेश, आदि संबंधी योजनाओं की जानकारी हिंदी में होने से सभी आयुवर्ग के लोगों को पशुधन, फसल, जलवायु, वर्षा, अग्नि, कटाई आदि से होने वाली क्षति के बीमा संबंधी नियमों की जानकारी उनमें जागरूकता उत्पन्न कर रही है। बैगा समुदाय के अकुशल मजदूरों को धान रुपाई, फसल कटाई, पौधारोपण, सिंचाई, क्यारियाँ बनाने के सही तरीके तथा कुशल मजदूरों को भवन निर्माण, किराना दुकान, चौकीदारी, ड्राइवर, मैकेनिक आदि के साथ मछली-पशुपालन आदि के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही बैगा महिलाओं को कुटीर उद्योग हेतु बाँस के सामान, कृषि उपकरण, पापड़ आदि सिखाया जा रहा है। ये उपाय बैगा समुदाय की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। “बैगा भी बदल रहे हैं। वनोपजों पर इनकी निर्भरता घट रही है।”¹⁶ वनोपज पर कम निर्भरता से बैगाओं के स्वास्थ्य के लिए हर्ज भी हुआ है पर बैगा आदिवासियों के लिए अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही हैं। बैगा जनजाति के किसी भी सदस्य की नसबंदी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जिससे कि उनकी वृद्धि प्रभावित न हो। एक सर्वेक्षण के अनुसार बैगा समुदाय के लोगों की जीविका के साधन अभी भी अत्यंत सीमित हैं। उनकी आय में मजदूरी के केवल 44, कृषि के 18, वनोपज के 12 तथा अन्य छोटे-छोटे स्रोतों से प्राप्त आय के 10 प्रतिशत को एक ओर कर दिया जाए तो शेष स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय दहाई का आँकड़ा भी नहीं छू पाती है। (ग्राफ-2)¹⁷



आय की इन विकराल परिस्थितियों के साथ ही उन्हें औद्योगीकरण जैसी बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है जो उनके सामने एक विकराल समस्या बनी हुई है। बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने उनके कुटीर उद्योगों से प्राप्त आय के साधन छीनकर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। बैगाओं द्वारा निर्मित बाँस, लकड़ी, चमड़े से बनी वस्तुओं की बजाय प्लास्टिक, चीनी आदि से बनी सामग्री का उपयोग किया जाने लगा है। बैगाओं को आद्योगिक इकाइयों में काम करने हेतु अकुशल बताते हुए बाहरी लोगों को नौकरी के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। यह समुदाय के लोगों पर दोहरी मार का आघात है। एक तो उनके ही वन में घुसकर उन्हें वंचित कर दिया गया और दूसरा उन्हें अपनी ही भूमि पर कार्य करने के लिए अकुशल कहते हुए बाहरी लोगों को आमंत्रित किए जाने से बैगा समाज में असुरक्षा भी भावना भी उत्पन्न हुई है।

बैगा बाहरी लोगों को 'दि कु' कहकर इन्हें अपने पिछड़ेपन का कारण मानते हैं। आदिवासी मुद्दों की ओर शोधपरक दृष्टि रखने वाले कई विद्वान भी इस बात की पुष्टि करते हैं। "बैगाओं को 'दि कुअन'(दि कु अर्थात् बाहर से आए हुए व्यापारी) और कोचिया(दलालों) ने भी बहुत सताया है।"¹⁸ परिश्रम के बाद उचित भुगतान न करने तथा उनके सीधेपन का लाभ उठाते हुए उनसे व्यापारिक या व्यवसायिक लाभ ले लेने को भी बैगा सताने की ही श्रेणी में रखते हैं। जिनकी वनोपज का एक बड़ा भाग औद्योगिक इकाइयों द्वारा हथिया लिया जाता है। दि कु कहे जाने वाले ऐसे लोगों से बैगा समुदाय के लोग भयभीत रहते हैं। बैगाओं में व्याप्त तथाकथित जादू-टोने का यह भी एक कारण है। दि कुओं से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए विवश होकर वे देवधामी की शरण में जाते हैं तथा अपने "बच्चों को बाहरी व्यक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए उनके गले में ताबीज बाँधते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों टोटके करते हैं। घर के पीछे वाले हिस्से तथा खेत में एक खूँटे पर हड्डी रख दी जाती है। उनका विश्वास है कि इससे कोई बाधा घर या खेत में प्रवेश नहीं कर सकती।"¹⁹ असुरक्षा समाप्त कर रोजगार उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु बैगा विकास प्राधिकरणों द्वारा गृह उद्योगों बाँस तथा तेंदू पत्तों आदि से बनने वाली चटाई, दोने, पत्तल आदि से संबंधी उपक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण तथा इनके हिंदी मैनुअल को बैगा महिलाएँ एवं पुरुष समझकर कार्य कर रहे हैं इससे वे आय अर्जित करने में सफल भी हुए हैं। इन गृह उद्योगों में निर्मित उत्पादों को जनजातीय क्राफ्ट महोत्सव आदि के माध्यम से विक्रय हेतु मंच भी प्रदान किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बैगा समुदाय की युवा एवं नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। "9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य सरकार ने साइकिलें दी हैं।.....'सर्व शिक्षा अभियान'(सब पढ़ें, सब बढ़ें) तथा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का अभियान इस क्षेत्र में सफल होता साफ-साफ दिखाई दे रहा है।.....मॉडल ट्राइबल स्कूल' में तो नन्हे-मुन्ने आदिवासी छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या पचास प्रतिशत से भी अधिक है।"²⁰ इन योजनाओं के कारण स्त्री शिक्षा के प्रति बैगा समुदाय के लोगों में जागरुकता आई है। शासन ने बालिका शिक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं उनसे बैगा समुदाय का शासन पर विश्वास बढ़ा है। अब

बैगा अपनी लड़कियों को न केवल प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय भेजते हैं। अब बैगा विद्यार्थी भी शिक्षा के बल पर उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर भारत एवं विदेशों में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बैगा समुदाय समग्र विकास की ओर अग्रसर है, जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। “केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं ने इस ‘ग्रामीण वन’ की कायापलट कर दी है। शिक्षा का प्रसार बहुत बढ़ गया है।.....स्कूल में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी है। ‘ड्रॉपआउट्स’ की संख्या में काफी कमी आई है। 10वीं से 12वीं कक्षा तक भी विद्यार्थियों की संख्या बनी रहती है। अब पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव भी उतने नहीं हैं कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाए।.....स्कूलों में उत्तीर्णता का प्रतिशत संतोषजनक है और यह भी कि लड़कियों का उत्तीर्णता प्रतिशत लड़कों की अपेक्षा अधिक है। आदिवासी लड़कियाँ बढ़-चढ़कर स्कूल जाने लगी हैं।”²¹

‘मध्यप्रदेश ट्राइबल अफेयर आटोमेशन सिस्टम’ के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बैगा छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं, पोस्ट मैट्रिक, उच्च शिक्षा, पीएच.डी. हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। इस प्रकार की छात्रवृत्तियों से बैगा विद्यार्थियों, समाज, शिक्षा संस्थाओं, शासन तथा देश को भी शैक्षणिक लाभ मिला है। विद्यालयी तथा महाविद्यालयी शिक्षा में बैगा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या इसका जीवंत प्रमाण है। बैगा विद्यार्थी हिंदी में निःशुल्क कोचिंग, रेमेडियल क्लासेस, सिविल सेवा परीक्षा, वोकेशनल शिक्षा प्रशिक्षण, पारंपरिक शिक्षा के साथ आई.टी.आई, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा आदि प्राप्त कर उच्च शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य स्तर पर स्नातक के लिए आयोजित की जाने वाली ‘नीट’-2022 की परीक्षा में बैगा छात्रा का एम.बी.बी.एस. के लिए आरक्षित अनुसूचित जनजाति श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करना, उच्च अध्ययन के लिए तीन बैगा विद्यार्थियों का चयन विदेश में होना, विभिन्न विश्वविद्यालयों में बैगा शोधार्थियों द्वारा शोध उपाधि प्राप्त करना यही संकेत करते हैं कि विद्यार्थी की प्रतिभा के साथ शासन के प्रयासों से प्रारंभिक तथा उच्च स्तर पर अच्छी शिक्षा के मूल में हिंदी विद्यमान रही है। बैगा विद्यार्थियों की ये उपलब्धियाँ प्रमाण हैं कि “विकास के साथ अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना दोनों में ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। शिक्षा के विकास के साथ राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ने की प्रवृत्ति बैगाओं में भी दृष्टिगोचर हो रही है।”²²

आज हिंदी शिक्षा के माध्यम से सोशल मीडिया तथा संचार क्रांति भी बैगा जनजाति को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से विकास की ओर अग्रसर किए हुए है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्राथमिक स्तर पर विद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए हिंदी-बैगानी वर्णमाला चार्ट, बारहखड़ी चार्ट, गिनती चार्ट तथा प्राथमिक स्तर के लिए भी हिंदी-बैगानी पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया है। बैगानी शब्दकोश का निर्माण उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण पहल है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि “जिन आदिवासी भाषाओं को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं उनमें से कई धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। जबकि “जनजातीय अस्मिता का प्रश्न उनकी संस्कृति व भाषा के साथ नाभि-नाल जुड़ा है। भाषा की समाप्ति का अर्थ उसको बोलने वाले समुदाय के वैशिष्ट्य, विविधता और समग्र सांस्कृतिक पहचान का समाप्त होना है।”²³ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के अमरकंटक विश्वविद्यालय की एक परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदायों की बोली और भाषा को लिपिबद्ध करते हुए उनके शब्दकोश और भाषायी सॉफ्टवेयर को तैयार करने की परियोजना में बैगानी को लिया जाना बैगानी के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है। “देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से आए शोधार्थियों ने आदिवासी संस्कृति को सहेजने की दिशा में एक उल्लेखनीय काम किया है। इन शोधार्थियों ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक की एक परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदायों के बीच जाकर उनकी बोली और भाषा को न सिर्फ लिपिबद्ध किया है बल्कि, इनका शब्दकोश और भाषायी सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। आदिवासी भाषा शब्दकोश के प्रथम चरण में गोंडी, कोल और बैगानी समुदाय को लिया गया है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने पनिका, भुईयाँ

और हल्बी समुदाय पर भी शोध शुरू कर दिया है। इतने बड़े स्तर पर भाषा सर्वे का पूरे देश में किसी भी विश्वविद्यालय का यह पहला वृहद प्रयास है।²⁴

आदिवासी भाषाएँ जैसे कार्बी, गारो, बोडो आदि में लिखित साहित्य उपलब्ध कराने में पहले ही सफलता हासिल की जा चुकी है। इन आदिवासी भाषाओं के साहित्य के कुछ अंशों को देश की छोटी-बड़ी पत्रिकाओं में देखा भी जा सकता है। आज असम के बोडो आदिवासी साहित्य में कविताओं, यात्रा संस्मरणों, कहानियों, नाटकों, लोकगीतों, जीवनियों आदि को देवनागरी, रोमन आदि लिपियों के द्वारा हिंदी, संस्कृत, तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में प्रकाशित कराने में सफलता अर्जित की जा चुकी है। हालाँकि जो प्रकाशन हुआ है उस प्रकाशित अंश की जनजातीय मौलिकता के कई अंशों पर अनाधिकृत रूप से अन्य समाजों के लोगों के अधिकार का प्रश्न सदैव मँडराता रहा है, क्योंकि इन आदिवासी जनजातियों के लोकसाहित्य के कई अंश विभिन्न ग्रामीण समाजों द्वारा कालांतर में अपने घोषित किए जाते रहे हैं। ध्यातव्य है कि हमारे समाज के संपर्क में आने वाली जनजातियों की लोक-संस्कृति और लोक-साहित्य में एक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, परिणामस्वरूप जनजातीय लोक साहित्य में आधुनिक समाज की शब्दावली और परंपराएँ भी सम्मिलित होते रहे हैं। यही समावेश बैगानी शब्दकोश के निर्माण के दौरान भी देखा गया। “बैगानी भाषा की ‘बोधात्मक-वर्गीकृत-शब्दावली’ हमने विश्वविद्यालय के लिए तैयार की है जिसमें लगभग तीन हजार शब्द हैं। भाषा संपर्क(लैंग्वेज कॉन्टैक्ट) के परिणामस्वरूप बैगानी भाषा में निकटस्थ क्षेत्रीय संपर्क भाषाओं(वर्नाकुलर) छत्तीसगढ़ी और बुंदेलखण्डी के कुछ शब्द स्वभावतः आ गए हैं। थोड़े शब्द भोजपुरी के भी हैं।”²⁵ सिद्ध है कि समुदायों की भाषाओं पर स्थानीय प्रभाव सदैव दिखाई देता रहा है और इससे बैगानी भी अछूती नहीं है। मध्यप्रदेश के बैगाओं की बोली तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड या अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में निवास अथवा प्रवास कर रहे बैगाओं की भाषा में सदैव कुछ न कुछ अंतर दिखाई देगा। इसके लिए भाषा वैज्ञानिक अध्ययन संबंधी शोध अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

यद्यपि मुख्यधारा के समाज को बैगा समुदाय के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा मानते हैं कि हम उनसे सभ्यता, संस्कृति, तकनीक, वैज्ञानिकता आदि में बहुत आगे हैं। रोजगार व अन्य कारणों से जब किसी बैगा का हमारे समाज से संपर्क होता है तो वह हमारे समाज की तथाकथित आधुनिकता से आकर्षित होकर बहुत कुछ सीखता है, वापस जाते समय हमारे समाज की कुछ बातें मानस धारण कर लेकर भी जाता है। इन कुछ बातों में अपनी स्वयं की संस्कृति के प्रति हीनभावना, परिवार के प्रति उदासीनता, अलगाववाद, एकल परिवार की प्रवृत्ति आदि ही अधिक देखी गई है जिसके कारण विवाह-विच्छेद जैसी नई बुराइयाँ भी बैगा समाज की कई महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। इनके अतिरिक्त अभद्र तथा भदसे भाषा, असंसदीय शब्द तथा अश्लील शब्दावली को भी ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। जिसकी पीड़ा का भाग बैगा महिलाओं के सिर आता है। हमारे समाज की दृष्टि में पिछड़ा माने जाने वाला बैगा आदिवासी समुदाय भले ही विलासिता तथा भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़ा लगता हो लेकिन उनकी बोली ‘बैगानी’ की मूल शब्दावली में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसे अपशब्द कहा जाए। वे स्वयं ‘बैगानी’ की इस विशेषता पर गर्व करते हुए कहते हैं कि “हम बैगा लड़कियों की, महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। माँ-बहन को पूजते हैं। उनके लिए या उनको साधन बनाकर गाली निकालने का तो हम सोच भी नहीं सकते।”²⁶ संभवतः कालांतर में बैगाओं के लोगों के शहर की ओर आ बसे या औद्योगीकरण जैसे कारणों से शहरी लोग बैगा बहुल क्षेत्रों में जा बसे तभी बाहरी समाज से अपशब्दों का प्रयोग बैगा समाज तक पहुँचा होगा। इसलिए अधिकांश बैगा आदिवासी अपशब्दों को बाजार की भाषा से आयातित मानते हैं। अतः यदि यह कहा जाए कि बैगा ही मूल सभ्यता के दीप स्तंभ हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषायी समृद्धि सामाजिक विकास के लिए एक पैरामीटर की तरह कार्य करता है पर बैगा, भील, भिलाला जैसी आदिवासी जनजातियों के मौखिक साहित्य के बहुत बड़े अंश को अभी

तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, न ही इनके लोकसाहित्य पर अभी तक ध्यान ही दिया गया है। शहरीकरण या आजीविका के संसाधनों के चलते व्यस्त होते जा रहे जीवन में उनका यह मौखिक साहित्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यह विडम्बना ही होगी यदि इतने संसाधनों के होते हुए भी बैगा जैसी जनजातियों का लोक साहित्य या लोक सांस्कृतिक तत्व मिटते चले जाएँ। यदि इन सभी जनजातियों के साहित्य का समग्र संकलन संभव हो सके तो यह भी संभववाच्य है कि सभी भाषाओं का मुख्यधारा साहित्य कम पड़ जाए। मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं “भूमण्डलीकरण की जो आँधी चल रही है उसमें भाषाओं के मरने का क्रम भी वही होगा जो उनके विकास का है। पहले वों भाषाएँ मरेंगी जो बोलचाल की हैं फिर वो भाषाएँ मरेंगी जिनकी केवल लिपि है और अंत में उनकी मृत्यु होगी जिनकी लिपि भी है और जो बोली भी जाती हैं और जिनकी प्रिंटिंग भी होती है।”²⁷ यदि इस चेतावनी पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले बोलियों को बचाया जाना आवश्यक है। बोलियों को बचाने का प्रारंभ भी बैगानी जैसी आदिवासी बोलियों से करना चाहिए। अतः इनकी रक्षा हेतु संरक्षण, प्रकाशन तथा संवर्द्धन का कार्य अविलंब करना होगा। आदिवासी साहित्य के अतिरिक्त हममें से प्रत्येक का नैतिक दायित्व अन्य भाषा— साहित्य का हमारी भाषा में तथा हमारी भाषा—साहित्य का अनुवाद अन्य भाषाओं में कराना भी होना चाहिए।

जिस तरह से आज आजीविका के साधनों के लिए अँग्रेजी पर निर्भरता हमारी ‘हिंदी’ की अस्मिता के संकट के रूप में देखी जाने लगी है और हिंदी के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विभिन्न संस्थाओं, स्वयंसेवकों और व्यक्तिगत प्रयास के लिए लोग सामने आने लगे हैं। उससे यह सुखदानुभूति हो रही है कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी में ही आजीविका के अवसर उत्पन्न किए जाएँ जिससे हिंदी की क्षति न होकर उसकी समृद्धि हो, यही बात आदिवासी जनजातियों की भाषाओं और आजीविका के संबंध में भी लागू होती है। आज यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विकसित हो रही आदिवासी पीढ़ी को उसकी मातृभाषा तथा लोकप्रिय माध्यम की भाषा में शिक्षित किया जाए। यह लोकप्रिय भाषा आदिवासी समुदाय के निकट की कोई भी भाषा हो सकती है, यहाँ भाषा का कोई विरोध नहीं है। पर आदिवासी ज्ञान तथा संस्कृति का लिखित रूप से प्रकाश में आना अत्यंत आवश्यक है। यदि लोक साहित्य, लोक संस्कृति, जड़ी-बूटी संबंधी दुर्लभ जानकारी तथा अन्य ज्ञान संपदा का अनुवाद या लिप्यांतरण अनुदित अथवा पुनर्सृजित होकर शिक्षा की पाठ्य-वस्तु में शामिल हो सकें तो “आदिवासी गल्प, मुहावरे, उपमाएँ, प्रतीक, मिथक, पहेलियाँ, संकेत, बिम्ब, आस्थाएँ, मान्यताएँ, स्मृतियाँ, स्वप्न, आकांक्षाएँ, विश्वास कुल मिलाकर अदृश्य मनोविज्ञान और दृश्य व्यवहार की जानकारी आदिवासी नई पीढ़ी और साथ ही गैर-आदिवासी ग्लोबल जनरेशन को मिल सके।”²⁸

आज आदिवासी को सबसे निचले पायदान का माना जाने लगा है जिसके कारण उत्पन्न समस्याओं से इन आदिवासी समाजों की भाषा और समाज पर अस्तित्व की रक्षा का संकट उत्पन्न हुआ है। “जब हम आदिवासी समाज के जीवन-संघर्ष और चुनौतियों की बात करते हैं तो वैश्विक पटल पर बिखरे तमाम आदिवासी समूह एवं जनजातियाँ अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक समाज उनके सामने अधिक विकल्प नहीं छोड़ते हुए केवल दो ही मार्ग रखता है या तो वे मुख्यधारा का आधिपत्य स्वीकार कर लें या फिर अपने अत्यंत सीमित संसाधनों में लुकछिपकर जीते हुए अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दें।”²⁹ निराशा की बात है कि स्वतंत्रता के इतने लंबे अर्से बाद भी उनको आरक्षण के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सका है जिससे कि उनकी भाषा में आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें तथा उनकी भाषा का संरक्षण किया जा सके। ऐसे में उनके समाज और उनकी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रख पाना अत्यंत दुर्लभ प्रतीत होता है।

हमें उन्हें इतना सशक्त बनाना होगा कि वे स्वयं अपनी संस्कृति, साहित्य और भाषा को बनाए रखते हुए अपनी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर सकें। लिप्यांतरण, अनुवाद, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन आदि ऐसे प्रयास हैं जो बहुत कम आर्थिक सहयोग लेकर इन आदिवासी जनजातियों के साहित्य, संस्कृति और समाज के उन्नयन, संवर्द्धन और संरक्षण में सहायक हो सकते हैं, पर इन प्रयासों को शासकीय संबल और संरक्षण मिलना नितांत आवश्यक है, इसके अभाव में छोटे-मोटे व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास हैं दम तोड़ते जा रहे हैं। हालाँकि सभी बैगा विकास प्राधिकरण इस दिशा में प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैगा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से “समाज के सैकड़ों शिक्षित युवक-युवतियों को शाला संगवारी के रूप में चयनित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। मंत्री श्री अकबर ने अपने विधायक निधि से बैगा समाज के विशेष मांग को पूरा करते हुए बैगा समाज के लिए जिला मुख्यालय कवर्धा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये देने की घोषणा की। वनांचल और जंगलों के बीच सदियों से निवास करने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कर रही है।”³⁰

वर्तमान समय की धारा में बहते हुए बैगा समुदाय अपनी भाषा और समाज से बाहर मुख्यधारा के हमारे समाज की ओर संक्रमण की अवस्था में हैं। हमें भले ही वे पिछड़े प्रतीत होते हों परंतु तटस्थ दृष्टि से देखने पर वे आधुनिक समाज की वास्तविक आधुनिकता को कई दशकों पहले से जी रहे हैं अतः यह संक्रमण बैगा समाज की पुरानी पीढ़ी में असंतोष भर रहा है। बैगा समाज के वृद्ध वर्ग के लोग मासूमियत से कहते हैं कि “पुराने रीति-रिवाज अब छूटते जा रहे हैं। अब तो सफेद खड़िया से देवारी-दशहरा पर घर के बाहर की दीवारों पर कुछ रेखा खींच देहें, यह भी एक-दो घर में हो तो हो। घर पक्के बनते जा रहे हैं इसलिए बैगा भित्तिकला का दिखना और मिलना भी कठिन होता जा रहा है।”³¹ समाज की मुख्य धारा के संपर्क में आने पर बैगा लड़कियों में भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उदासीन भावना घर करती दिखाई दे रही है जो हमारे समाज में भौतिक संपन्नता या समृद्धि प्राप्त कर चुके अन्य जनजातीय समाजों के कई युवाओं में दिखाई पड़ती रही है। वरिष्ठ बैगा महिलाएँ इस बात को स्वीकार करती हैं कि “गोदना भी कम होता जा रहा है। पहिले ढेर तरह का गोदाना गोदाये। कुंवारी लड़की के अलग गोदाय, बियाहिता के अलग। पूरे शरीर पर गोदाय। अब तो गोदना गोदने वाली भी कम हो गई हैं। नाहीं तो घर-घर घूमें। अब गुदावाना हो तो इन्हें बुलावे के पड़त हैं। नयी लड़कियाँ गोदना गोदवाने से बचती हैं। कोई-कोई बस माथे पर गोदवाती हैं।”³²

बैगा समुदाय की जिन बुराइयों में सुधार किया जाना अपेक्षित है वह युवाओं नशे की बढ़ती लत तथा फिजूलखर्ची है। बैगा बहुत खर्चीले होते हैं। यदि उनके पास पैसा आ जाए तो वे उसे शीघ्र अति शीघ्र खर्च कर देना पसंद करते हैं। वे परिधान, श्रंगार और नशे पर ही सर्वाधिक खर्च करते हैं। “बैगा जनजाति के लोग जन्म से मृत्यु पर्यन्त तक विविध संस्कारों का आयोजन करते हैं। संस्कारों के आयोजन को धूम-धाम से किया जाता है। भोज भी दिया जाता है। भोज में माँस एवं शराब प्रमुख होता है।”³³ जब से घरेलू उपयोग के लिए महुआ-शराब की निर्धारित मात्रा के निर्माण एवं उपयोग को अनुमति दी गई तब से बैगा युवाओं में महुआ-शराब का प्रचलन बढ़ गया है। युवाओं में महुआ-शराब, गोंजा, चोंगी-बीड़ी, तम्बाकू, कहीं-कहीं ताड़ व छींद के पेड़ से ताड़ी बनाकर पीने की जानकारी प्राप्त होती रहती है। यद्यपि बैगाओं के देव-धामी आदि से जुड़ी परंपराओं तथा संस्कारों में शराब के सीमित उपयोग को कुछ निश्चित कार्यों के लिए मान्यता दी गई है पर नशे के रूप में इसका उपयोग समाज के लिए हानिकारक है। “इसने बैगा युवाओं को बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। इन्हें दारु की लत लग गई है। दिन-रात पिये रहते हैं। परिवार चिंतित रहता है।.....सरकार की ओर से महुआ की दारु बनाना-पीना गैरकानूनी नहीं इसलिए ये घर पर ही दारु तैयार कर लेते हैं।”³⁴

यदि नशे के अतिरिक्त बाहरी समाज से आयातित बुराइयों को छोड़ दिया जाए तथा निरपेक्ष दृष्टि से उनका अवलोकन किया जाए तो उनकी सामाजिक परंपराएँ तथा संस्कृति अत्यंत आधुनिक प्रतीत होती हैं।

अक्सर बैगाओं की परंपराओं को बदलने की बात की जाती है। इस संबंध में यह समझना होगा कि प्रत्येक समाज की परंपरा में सुधार की सतत आवश्यकता होती ही है अतः उनकी परंपरा में भी समय के साथ सुधार होना चाहिए। बैगा आदिवासियों की “परंपरा उन सांस्कृतिक विशेषताओं को दिया गया नाम था, जिन्हें परिवर्तन की स्थिति में सौंपना जारी रखा जाना था, विचार किया जाना था, ‘खत्म’ नहीं किया जाना था। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक व्यवस्था, मूल्य, रीति-रिवाज और उत्सव के विभिन्न रंगीन तरीके होते हैं जो ज्यादातर कृषि से संबंधित होते हैं।”³⁵ बैगा समाज कृषि तथा वनोपज पर लंबे समय से आश्रित रहता आया है। यही कारण है कि बैगा समाज की परंपराएँ और संस्कृति निरंतर बदलते वनों, मौसमों, प्रकृति और नैसर्गिक वातावरण के सान्निध्य में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के तहत निर्मित हुई है। अतः सावधान रहना होगा कि उनमें बदलाव के बाहरी प्रयास उनके समाज व साहित्य दोनों की नैसर्गिकता को कृत्रिमता से दूषित कर सकते हैं।

बैगा न केवल मेहनती बल्कि ईमानदार भी होते हैं। अन्य आदिवासी समुदायों की तरह उन्होंने विस्थापन, भाषा, रोजगार या अन्य किसी बात को लेकर कभी शासन या अन्य समाज के लोगों के प्रति कभी कोई आक्रोश विरोध दर्ज नहीं किया। उल्टा बैगा आदिवासियों ने सदैव शासन की प्रत्येक योजना एवं नीति को लागू करने में सहयोग ही किया है। यह बैगा समुदाय के लोगों की अपने उत्थान एवं विकास के प्रति संभावना तथा ललक है एक ओर इसका कारण यह है कि “इनकी भाषा में कोई ऋजुता नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति में थोड़े टेढ़े हुए आप की इनकी समझ से बाहर हो जाएँगे। भाषा की वक्रता ये नहीं जानते। इनसे सीधी बात कीजिए, सीधे-सीधे शब्दों में। सीधा व्यवहार कीजिए, चतुराई-चंटेई यहाँ नहीं चलेगी। इनसे खूब बातें कीजिए, जी खोलकर कीजिए। उम्र और लिंग का भेद भूल जाए। क्योंकि इनके लिए युवा, वृद्ध, महिला, कन्याएँ सब सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं।”³⁶ शायद इसीलिए बैगा जनजीवन में हिंदी इतनी गहराई से समा गई है कि इस आदिवासी समुदाय ने हिंदी को अपने जीवन का अंग बना लिया है। बैगा बच्चे जब अपना लोकमनोरंजन करते हैं तो उनके खेलों में हिंदी सहज ही आ जाती है। ‘गुंघड़ी रे गुंघड़ी’, ‘कुकड़ा पाट’, ‘लुकलुकइयल’ आदि ऐसे ही खेल हैं। जिसमें खेल-खेल में ही चुस्ती-फुर्ती, शारीरिक संतुलन, भाषा ज्ञान आदि का व्यायाम हो जाता है और बच्चे खेल खेल में अंगों के नाम से भी परिचित हो जाते हैं। एक खेल इस प्रकार है “इत्ता इत्ता पानी, घोर घोर रानी। ‘घोर घोर’ दिन ‘पुरसा भर पानी’। शेष लोग अपने अंगों को छू-छूकर कहते-अंगुरि से दबरी(कोहनी तक).....दोहराते और घेरे के लोग कहते जाते घुटने से जाँघ तक, बोदड़ी(बोड़री) से छतिया तक, ढेंटू(गला) से मुँह तक, आँख से मूँड़(सिर) तक।”³⁷ ये केवल लोकरंजन के साधन नहीं बल्कि हिंदी की विकसित होती परंपरा है जो अपना नैसर्गिक प्रसार कर रही है। एक सकारात्मक तथ्य यह भी है कि हिंदी जागरुकता अभियानों से बैगा जनजाति की जर्जर रूढ़ियाँ समाप्त भी हो रही हैं।

नक्सलवाद भी बैगा समुदाय के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इसका बैगाओं पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखण्ड में नक्सलियों के तीन समूह दलम, परसवाड़ा दलम और टांडा दलम न केवल बैगा समाज बल्कि स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस को भी निरंतर परेशान करते रहे हैं। बालाघाट की वह सीमा जो महाराष्ट्र को छूती है वहाँ भी नक्सलवादी समस्याएँ निर्मित करने का प्रयास किया गया। मध्यप्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बस्तर, कवर्धा, डोंगरगढ़ तथा राजनांदगाँव में भी बैगा युवाओं को नक्सलवादी समूह प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इससे बचने के लिए बैगा वनोपज संग्रह नहीं कर पाते जिसका उनके समाज तथा आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फलस्वरूप उन्हें पलायन हेतु विवश होना पड़ता है। “नक्सली अपनी विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से आदिवासी युवाओं में यह विश्वास पैदा करने में सफल रहे हैं कि वे वर्तमान सरकारी व्यवस्था से बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने वाले हैं। वे यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार उनकी शक्ति के

आगे पराजित हो चुकी है।³⁸ इसके लिए बैगा युवाओं को आत्मनिर्भर योजनाओं, विकास कार्यों में सहभागिता तथा युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उनका विश्वास जीता जा सकता है। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

म.प्र. कान्हा नेशनल पार्क के पास जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा बैगा हाट बनाया गया है। जहाँ बैगा आदिवासियों की संस्कृति और उनके पारंपरिक उत्पाद नई पहचान पाएंगे। इसमें रोजगार भी पूरी तरह से स्थानीय ग्रामीणों को ही दिया जा रहा है। इस प्रकार की पहल बैगा आदिवासियों के आर्थिक विकास के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे प्रयासों से एक ओर देशी पर्यटन को लाभ मिलेगा वहीं विदेशी पर्यटन में भी वृद्धि होगी। “हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश की सभी जनजातियों के लिए विभिन्न नई योजनाएँ शुरू करके और जनजातीय जीवनशैली, कला, संस्कृति और देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान को मान्यता प्रदान करके इस दिशा में अहम पहल की है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान केन्द्र सरकार के शासनकाल में जनजातीय लोगों के कल्याण की दिशा में प्रयास कई गुणा बढ़ गए हैं जिससे जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी तेजी से सुधरी है।”³⁹ इन बैगा हाट जैसे उपायों के साथ ही ‘बैगा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना’ बैगा लोक संस्कृति के संरक्षण, प्रचार तथा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। इन सांस्कृतिक केन्द्रों पर बैगा लोकगीत, लोकनाट्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, लोककला आदि की हिंदी में प्रस्तुति देश-विदेश के पर्यटकों के सहज आकर्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र हो सकती है।

यदि इस प्रकार की योजनाएँ फलीभूत हों तो उनसे बैगा संस्कृति को व्यापक स्तर पर पहचान तो मिलेगी ही, उनका संरक्षण व लोक साहित्य का प्रकाशन भी हो सकेगा। बैगा आदिवासियों की संस्कृति में लोक-व्यवहार संबंधी मांगलिक अवसरों जैसे जन्मोत्सव, विवाह, त्योहार, मढ़ई-मेले जैसे पर्वोत्सवों, फसल बुआई-कटाई आदि से संबंधित लोकगीत-संगीत, लोकनृत्य-नाट्य, लोककथा-गाथा, लोककलाओं आदि हमारे समाज की बहुमूल्य धरोहर हैं। “करमा लोकगीत और नृत्य के महत्व का बखान करने वाले अनगिनत लोकगीत बैगा समाज में गाए जाते हैं।....कभी सोचा भी नहीं था कि वन प्रान्तरों में संगीत की ऐसी धारा बहती होगी। बैगा स्त्री-पुरुषों की धीमी और तेज आवाजों का संतुलित प्रवाह। कब-कौन-किस स्वर को कहाँ चढ़ाएगा और कब-कौन उसे कहाँ से उठाएगा, अद्भुत। ‘अंतरा’ में कहाँ पर किसका स्वर मद्धम हो जाएगा और किसका तीव्र। कब सभी उप-समूह एक साथ मिलकर गाएँगे, कब कोई एक समूह गाएगा और कब किसी समूह का एक व्यक्ति अकेले तान छेड़ेगा-लोक संगीत की कहिए, शास्त्रीय पद्धति, जिसका बोध बैगा समाज के इन सभी नागरिकों को है। बनवासी बैगा, संगीत के सुर-ताल, लय-तान से भिन्न समुदाय के सदस्य हैं। संगीत की यह धरोहर इन्हें परंपरा से मिली है। जिसे ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी सँजोते चले आ रहे हैं।”⁴⁰ इसी प्रकार बैगा आदिवासी की प्रत्येक सांस्कृतिक धरोहर अद्भुत है।

बैगाओं के समाज में सुधार की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने के प्रयास अब फलीभूत होने लगे हैं। इसी कड़ी में मझौली अस्पताल में आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने का एक प्रयास मध्यप्रदेश शासन ने किया है। बैगा समुदाय की राजनैतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है ताकि सेवाओं, नौकरियों में आदिवासी आरक्षण के प्रावधानों, हेबिटेड अधिकार, विशेष अदालत में सुनवाई, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि के प्रति उनमें सामाजिक जागरुकता उत्पन्न हो। संविधान की धारा 46, 164, 330, 332, 334, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत लोकसभा, राज्यों की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति वे अधिक जागरुक हो सकें। इसके लिए हिंदी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि बैगा जनजाति के उत्थान, विकास तथा सुधार में हिंदी से आई बहुविध जागरुकता का बहुत बड़ा प्रतिशत है। बैगा आदिवासी लगनशील, जिज्ञासु, ईमानदार, अचूक निशानेबाज आदि विशेषताओं के धनी हैं तथा अपने उत्थान के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पूरा सहयोग देते हैं। अस्तु कहा जा सकता है कि वह दिन अधिक दूर नहीं जब हिंदी में पर्याप्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी जिसके द्वारा अन्य युवाओं की तरह बैगा समुदाय भी विभिन्न सिविल सेवाओं की कोचिंग, रेमेडियल कक्षा, ई-पाठशाला आदि ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उचित ज्ञानार्जन कर सेवा,

नौकरी, प्रशिक्षण, कौशल प्राप्त कर आरक्षण का उचित लाभ लेकर परिवार, समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।

उपसंहार— कोरोना महामारी एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से 2021 के जनगणना कार्य से उपलब्ध नहीं हो सके हैं किंतु शोध के माध्यम से प्रो. दिलीप सिंह ने अपनी पुस्तक 'बनवासी बैगा : जीवनगाथा(बैगा जनजाति का आँखों देखा खाका) की परिशिष्ट-1 में मध्यप्रदेश में बैगा जनजाति की वर्तमान संख्या '4लाख' से कुछ अधिक बताई गई है। मध्यप्रदेश की अन्य जनजातियों की अपेक्षा बैगा जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर कम होने की चिंता के बीच उनकी संख्या 4 लाख से अधिक हो जाने की यह सूचना सुखद तो है पर इसमें सचेत होने के आग्रह के साथ दो बातों की ओर संकेत है पहली यह कि बैगा जनजाति के संरक्षण हेतु शासन के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे बैगा जनजाति को पहले की अपेक्षा अधिक लाभ हो रहा है, और दूसरी यह कि इस विकास तथा लाभ से प्रभावित होकर कई नये बैगा सामने आ रहे हैं। संभवतः शासकीय आँकड़े आने पर बैगा आदिवासियों के विकास में भाषागत योगदान संबंधी कुछ नई शोध संकल्पनाओं को बल मिलेगा। जनसंख्या दर में वृद्धि इस बात की ओर भी संकेत करती है कि बैगा विकास प्राधिकरणों, गैर-सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकारों की ओर से जो भी नीतियाँ एवं योजनाएँ बैगा आदिवासियों के उत्थान के लिए बनाकर उनका हिंदी में प्रचार प्रसार किया जा रहा है उससे बैगा समुदाय के लोगों में जागरुकता उत्पन्न हुई है। बैगा जनजाति को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर पाने की दिशा में यह सफलता का एक महत्वपूर्ण सोपान कहा जा सकता है।

निष्कर्ष— बैगा विकास प्राधिकरणों के द्वारा हिंदी में बैगा समुदाय के लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जैसे मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, लाख के बीजों का रोपण एवं उत्पादन, संग्रहण, भण्डारण, विक्रय आदि कार्यशालाओं तथा शिविरों द्वारा जिनसे इनकी स्थिति में पिछले दशकों की अपेक्षा अधिक सुधार हुआ है। परंतु हिंदी में तैयार बैनर, पोस्टर, बुकलेट, पम्पलेट, रेडियो वर्तमान तकनीकी युग में सीमित संसाधन माने जाने लगे हैं। इनके उपयोग से जागरुकता संदेश प्रभावी होने पर भी सीमित लोगों तक ही पहुँच पाता है। अब जबकि विज्ञान तथा संचार की नई तकनीकें आधुनिक समाज में सामान्यतया प्रचलित हो चली हैं इसलिए बैगा जनजाति के विकास में भी सोशल मीडिया तथा जनसंचार के आधुनिक संसाधनों के प्रचार-प्रसार से बैगा लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं तथा समाधान संबंधित सुझावों तथा विचारों को सीधे लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए जाने संबंधी सॉफ्टवेयर आदि तैयार किया जा सके तो विकास की दर में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है। हालाँकि हिंदी में प्राप्त होने वाली सुविधाओं का दायरा बढ़ा है तथा बैंक ए.टी.एम., नैट बैंकिंग, ऋण आदि की पर्याप्त जानकारी हिंदी में उपलब्ध है। पशुधन, फसल बीमा, जलवायु, वर्षा, अग्नि, कटाई आदि से संबंधित जानकारी भी हिंदी में उपलब्ध कराई जा रही है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में वनोपज जैसे बाँस तथा तेंदू पत्तों आदि से बनने वाली चटाई, दोने, पत्तल आदि तथा उनके प्रबंधन तथा विक्रय से संबंधी उपक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी मैनुअल आदि हिंदी में प्रदान की जा जा रही है। पर फिर भी बैगा विकास दर में वृद्धि के लिए अन्य क्षेत्रों यथा तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, अभियांत्रिकी, कृषि आदि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को आधुनिक बनाने के साथ-साथ और भी अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

नीतिगत उपाय— लोक साहित्य लेखन हेतु बैगा समुदाय के लोगों की प्रविष्टियों को आमंत्रित किया जाए, यदि लोक साहित्य की पाण्डुलिपि तैयार कर पाना संभव न हो तो रिकॉर्डिंग आदि के द्वारा प्राप्त साहित्य एवं पाण्डुलिपियों के प्रकाशन की व्यवस्था हो, तो बैगा लोक साहित्य व संस्कृति को समय रहते संरक्षित करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के तत्वाधान में भारतवाणी परियोजना भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तक कोश, ज्ञान कोश, शब्द कोश, भाषा कोश आदि उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत् है। इस पोर्टल पर 'वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006' की सामान्य जानकारी बैगानी-हिंदी अनुवाद में उपलब्ध है। यदि इसी प्रकार हिंदी-बैगानी या बैगानी-हिंदी में अनुवाद का मोबाइल ऐप या अन्य

कोई तकनीक निकट भविष्य में उपलब्ध हो सके तो अवश्यभावी है कि बैगा द्रुतगति से विकास की ओर अग्रसर होकर विकास के नये सोपानों को प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने पर मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान होने से बैगा समुदाय के विकास को और भी अधिक गति मिल सकेगी। बैगा समुदाय 'लोक सांस्कृतिक केन्द्र' की स्थापना किया जाना तथा इन केन्द्रों में बैगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना तथा आयोजन के लिए शासकीय अनुदान आदि उलब्ध कराना उनकी लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। बैगा ओलंपिक के आयोजन से कई प्रतिभाएँ निखरकर सामने आती हैं जिन्हें हिंदी या अन्य भाषाओं में उचित प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय तथा अंतर-राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें खेल परिसर, छात्रावास, ग्रंथालय, निःशुल्क पुस्तकें, प्रोत्साहन राशि, पुरस्कार आदि प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

संदर्भ—

1. मलिक डॉ. फरहद, मुखर्जी डॉ. बी.एम., आदिवासी अशांति : कारण, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, के.के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.—73
2. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—125
3. नायडू पी.आर., भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण— 2002, पृ.—13
4. खरपूसे डॉ. उर्मिला(संपादक), मैं बैगा हूँ, जिला प्रशासन मण्डला(म.प्र.), संस्करण— 2021, पृ.—48
5. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—68
6. गुप्ता रमणिका, आदिवासी लेखन : एक उभरती चेतना, सामयिक प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली, संस्करण— 2013, पृ.—113
7. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—124
8. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—124
9. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—69
10. नायडू पी.आर., भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण— 2002, पृ.—44
11. नायडू पी.आर., भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण— 2002, पृ.—44
12. बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, प्रतिवेदन—2020, पृ.—75
13. लुगुन अनुज, आदिवासी : अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन ई—17, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.—25
14. 'वन्यजाति'(त्रैमासिक), भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्रिका, वर्ष—63, अंक—2, अप्रैल 2015
15. नई दुनिया समाचार पत्र के ई—एडिशन में दिनांक 31 जनवरी 2022, प्रातः 07:44 बजे प्रकाशित प्रकाशित समाचार
16. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—127
17. बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति का आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन, आदिम जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर(छत्तीसगढ़) वर्ष—2020, पृ.—75
18. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—121

19. नायडू पी.आर., भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण— 2002, पृ.— 43
20. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—130
21. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—129—130
22. तिवारी चंद्रमणि प्रसाद, जनजातीय पर्यावरण, आशा पब्लिशिंग कंपनी, आगरा, संस्करण— 2003, पृ.— 195
23. वन्यजाति(त्रैमासिक पत्रिका), अप्रैल 2015, वर्ष—63, अंक—2, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली, पृ.—38
24. हुसैन मोहम्मद जाकिर, युद्धरत आम आदमी, नवंबर 2015 का लेख आदिवासी भाषाओं का शब्दकोश, पृ.—11
25. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—137
26. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—98
27. लुगुन अनुज, आदिवासी : अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन ई—17, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.—58
28. लुगुन अनुज, आदिवासी : अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन ई—17, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.— 23
29. लुगुन अनुज, आदिवासी : अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन ई—17, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.—101
30. नई दुनिया समाचार पत्र के ई—एडीशन में दिनांक 31 जनवरी 2022, प्रातः 07:44 बजे प्रकाशित प्रकाशित समाचार
31. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—126
32. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—126
33. तिवारी चंद्रमणि प्रसाद, जनजातीय पर्यावरण, आशा पब्लिशिंग कंपनी, आगरा, संस्करण— 2003, पृ.— 195
34. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—90
35. योजना : विकास को समर्पित मासिक पत्रिका, अंक— जुलाई 2022, पृ.—16
36. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—99
37. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—110
38. मलिक डॉ. फरहद, मुखर्जी डॉ. बी.एम., आदिवासी अशांति : कारण, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, के.के. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण— 2015, पृ.— 81
39. योजना : विकास को समर्पित मासिक पत्रिका, अंक— जुलाई 2022, पृ.—43
40. सिंह प्रो. दिलीप, बनवासी बैगा : जीवनगाथा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण— 2022, पृ.—70